राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.7(1)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांक 13 FEB 2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.09.2019 की निरन्तरता में तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2020 एवं दिनांक 24.01.2020 को अतिक्रमित करते हुये निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैः–

1. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 एवं नये अवाप्ति अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का आधेकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013) के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्त की गई भूमि के बदले विकसित भूखण्ड देने के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित आवंटन समिति की अनुशंषा के साथ निर्धारित चैकलिस्ट में राज्य सरकार को भेजे जावें एवं राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् ही विकसित भूखण्ड आवंटन एवं इसके आगे की कार्यवाही सम्पादित की जावें।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत क्रय कर, आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनिमय) से प्राप्त की गई भूमि के बदले विकसित भूखण्ड प्राधिकरणों/न्यासों के स्तर पर ही आवंटन किये जा सकते हैं। भूमि के बदले भूखण्ड उसी योजना में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जानी प्रस्तावित हो तो, ऐसे आवंटन के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जोधपुर/जयपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
10. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम